टैलीप्रिंटर, टेलेक्स, कम्प्यूटर और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों आदि जैसे वर्तमान उपकरणों को आवश्यक समझा जाता है तथा उक्त उपकरणों की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से पूरा नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं । हिन्दी सलाहकार समिति का गठन दिसम्बर 1980 में हो चुका था और अगस्त, 1984 में इसका पुनर्गठन किया गया है इस समिति का अन्तिम बैठक 29 जून, 1983 को हुई थी । उससे अगली बैठक जो 9 दिसम्बर, 1983 को होनी थी, कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण स्थगित कर देनी पड़ी थी । अब, अगली बैठक 27 दिसम्बर, 1985 को होनी है ।

(ख) और (ग) योजना मंत्रालय में हिन्दी का कोई टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, कम्प्यूटर या इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर नहीं है । राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम में इन उपकरणों की कमी से कोई बाधा नहीं पड़ रही है ।

Sale of casset bombs in Delhi and the Punjab

1893. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to news item which appeared in the Hindi *Hindustan* of 5th August, 1985 to the effect that extremists have acquired dangerous casset bombs which are being sold in Delhi and the Punjab at the rate of Rs. 100/- per casset;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what preventive measures have been taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STATES (SHRI P.A. SANGMA) : (a) No such incident has been reported so far to the police in the Union Territory of Delhi and in the State of Punjab.

(b) Does not arise.

(c) Strict watch is being kept over the activities of the extremists. The public has been alerted through Radio/Television not to touch any unclaimed property lying in suspicious condition and to inform the local police about any such item, if noticed by them.

पोर्टब्लेयर का नाम सावरकर नगर करने की मांग

1894. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्टब्लेयर का नाम सावरकर नगर कर देने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और इस शहर को सावरकर नगर नाम न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) नीति के अनुसार सरकार गांवों कस्बों, शहरों इत्यादि का नामकरण सम्मान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखने से सहमत नहीं है ।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से पशुओं का हांककर ले जाया जाना और वहां अवैध प्रवेश

1895. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :